सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना **RAS**)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 99/1995 जी.सी.एम.एस नं0 1992/00001

1. भौरीलाल पुत्र बिरधा (दौराने दावा फौत)
   1/1 रामजीलाल पुत्र भौरीलाल
   1/2 मोहन पुत्र भौरीलाल
   1/3 लाली बेवा भौरीलाल
   1/4 बसराम पुत्र गिर्राज
   1/5 देवी पत्नी स्व0 गिर्राज
2. सीताराम पुत्र बिरधा (दौराने दावा फौत)
   2/1 भौरी बेवा सीताराम
   2/2 रामप्रसाद पुत्र सीताराम
   2/3 सन्तरा पुत्री सीताराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक स्वयं माता भौरी बेवा सीताराम
3. रामफूल पुत्र बिरधा
   3/1 मामराज
   3/2 बाबू
   3/3 मुकेश
   3/4 पूरण
   | पुत्रान रामफूल

   समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. नरसी पुत्र गोपाल पुत्र बिरधा जाति मीणा (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मूली देवी बेवा गोपाल निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम

1. कजोड़ पुत्र भौरीलाल
2. रूघनाथ पुत्र भौरीलाल (दौराने दावा फौत)
   2/1 रामसहाय
   2/2 रामफूल
   2/3 धौंकल
   | पुत्रान स्व0 रूघनाथ

   समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. कालू पुत्र कल्याण सहाय सहाय
4. बिरधी चन्द पुत्र कल्याण सहाय
5. बाबू पुत्र कल्याण सहाय
6. मंगल पुत्र कल्याण सहाय
7. हनुमान पुत्र भगवानसहाय
8. श्रीनारायण पुत्र भगवानसहाय
9. शंकर पुत्र भगवानसहाय
10. कैलाश पुत्र भगवानसहाय
    समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासीयान ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

1. बाल्या पुत्र श्योनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर (दौराने दावा फौत)
   11/1 अर्जुन पुत्र बाल्या

2. तहसीलदार, लैण्डहोल्डर, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

. ग्राम पंचायत बैनाडा, जरिये ग्रुप सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बैनाडा पंचायत समिति बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगण:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (रा.ज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

निर्णय

दिनांकः—31.01.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा विपक्षी नम्बर 11 की खातेदारी व सहकृषक के रूप में रिकॉर्डेड है और खसरा नम्बर 514 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह कोठी है जिसमें प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी नम्बर 3 ता 6 का हिस्सा 1/4 हिस्सा व विपक्षी नम्बर 7 ता 10 का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर है व उक्त कुए में उक्त रूप से सहकृषक व सहहिस्सेदार है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 516 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि में से प्रार्थी भौरीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी नम्बर 10 कैलाश पुत्र भवानसहाय से हिस्सा 1/8 हिस्सा खरीद किया और प्रार्थी भौरीलाल उक्त 1/8 हिस्से का सहकृषक व खातेदार है एवं उक्त आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा में से प्रार्थीगण के व प्रार्थी नम्बर 1 के कब्जे व अधिकार में 4 बिस्वा भूमि कब्जे व अधिकार की है। उक्त समस्त भूमियां ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है और प्रार्थीगण व विपक्षीगण नम्बर 1 ता 11 की सहहिस्सेदारी व सहकृषक खातेदारी व कब्जे की है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 516 में से 4 बिस्वा भूमि जो कुआ कोठी से दक्षिण—उत्तर का टुकडा है, में 8 फिट चौड़े रास्ते के रूप में आमद रफ्त का उपयोग करने एवं उसके पास स्थित इसी भू—भाग में बने हुए पानी के धोरे व डांगर में होकर खसरा नम्बर 513 की पिलाई व सिंचाई करने का व शेष भू—भाग को उपयोग में लेने का, प्रार्थीगण को पिलाई व रास्ते के बाबत ईजमेन्टरी कस्टमरी हक प्राप्त है और प्रार्थीगण उक्त सीमा तक 4 बिस्वा भू—भाग के उक्त प्रकार इस्तेमाल का ईजमेन्टरी हक अधिकार की घोषणा व उसके बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को अपने खसरा नम्बर 513 में व 516 के 1/8 हिस्से में उक्त गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 514 में 1/2 हक हिस्से की सीमा तक पिलाई व सिंचाई करने का हक अधिकार प्राप्त है और 1/2 हिस्से का प्रार्थीगण उक्त गैरमुमकिन कोठी के सहकृषक व सहहिस्सेदार है, व इसी रूप में उपयोग—उपभोग करने के अधिकारी है। जिसमें विपक्षीगण नम्बर 1 ता 10 को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी कुछ अरसे पूर्व दिनांक 6.8.92 को विपक्षी नम्बर 4, 5, 6 ने आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा में उनके 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्से का भाग एवं खसरा नम्बर 514 गै0मु0 चाह रकबा 2 बिस्वा के 1/4 हिस्से का 3/4 हिस्सा विपक्षी नम्बर 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया और उक्त बेचान के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 516 में से प्रार्थी के हिस्से 1/8 व इसी प्रकार खसरा नम्बर 516 के 4 बिस्वा भाग में बेजा मजाहमत करने की कुचेष्ठा करने लगे एवं उक्त आराजी का बिना यथार्थ तथ्य बताये बलाबाला उक्त तथाकथित बेचान के आधार पर भूमि का नामान्तकरण कराने की फिराक में लगे है, जबकि विपक्षी नम्बर 3 ता 10 व इनमे से किसी भी व्यक्ति को उक्त 4 बिस्वा वर्णित भू—भाग को ट्रान्सफर अथवा हस्तानान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है व उक्त 4 बिस्वा भू—भाग से विपक्षी नम्बर 1 ता 10 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है किन्तु विपक्षी नम्बर 1 व 2 अन्य विपक्षीगण से साजिश करके प्रार्थीगण के कब्जे, सहहिस्से व सहकृषक के भू—भाग रास्ते, धोरे के व अन्य पड़त भाग के हक हिस्से अधिकार में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे विपक्षी नम्बर 1 ता 10 को प्रार्थीगण के उक्त हक इस्तेमाल कुए से अपनी कृषि भूमियों को धोरे से होकर पिलाई करने के राइट ऑफ इरीगेशन एवं 8 फिट चौडे रास्ते के आमद रफ्त राइट ऑफ वे, में बेजा मजाहमत करने की धमकिया देते है और भूमि का गलत रूप से नामान्तकरण भराकर अनावश्यक विवाद व झगडा करने की कुचेष्ठा में है। जिससे विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 513, 514 व 516 वाके ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर का जब तक मीट्स एवं बाउण्डस के अनुसार तकास्ता नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त व अधिकार की कृषि भूमि में बाधा या बेजा मजाहमत नहीं करने, खसरा नम्बर 516 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा 1/8 हिस्से व उसके पास लगवा 4 बिस्वा भू—भाग जो कुआ से दक्षिण से उत्तरी ओर खसरा नम्बर 513 तक जाता है और जिसमें प्रार्थी का कुए से पानी का धोरा (डांगर) बनी हुई है तथा उसके पास 8 फिट चौड़ा रास्ता एवं शेष पड़त भाग प्रार्थीगण के कब्जे काश्त है में कोई बाधा एवं रूकावट पैदा नहीं करे के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला—जयपुर

उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (रा.ज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 19.10.1992 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 11 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जबाब पेश कर अवगत करवाया कि प्रार्थीण द्वारा मिथ्या व आधारहीन तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश किया जो समेरली निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा बताया गया हिस्सा उसके कब्जे व हक का नहीं है एवं चाह कोठी खसरा रम्बर 514 में भी वादीगण का 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड के अनुसार है, परन्तु वादीगण ने इस चाह कोठी से आज तक न तो कोई सिंचाई ही की है और ना ही वादीगण 1 बीघा जमीन पर काबिज है। उक्त वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/वादीगण ने स्वयं के हिस्से की सीमाए पूर्णतया मनघडन्त अंकित की है। जिस पर प्रार्थीगण का तनीक भी हिस्से पर कतई कोई कब्जाकाश्त नहीं है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र समेरिल खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 513, 514 व 516 वाके ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 12 की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>— चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

<u>अतः आदेश है किः—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तामैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम स्थित आराजी खसरा नम्बर 513, 514 व 516 में एक—दूसरे के हक हिस्से व कब्जे काश्त व अधिकार की कृषि भूमि में बाधा या बेजा मजाहमत नहीं करें, ना कोई निर्माण करें तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर